ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः–ग्रे.नो. / संस्था / 2019 / 80
दिनांक 24.06.2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114 / अनु011 में प्राधिकरण की संस्थागत भू–उपयोग में आंवटित किये गये विभिन्न आवॅटी संस्था जिनके द्वारा इंजीनियरिंग, मेनेजमेन्ट, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स कॉलेज, डेन्टल कालेज, लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मेडीकल कॉलेज, वोकेशनल कोर्स, नर्सरी स्कूल / प्राइमरी स्कूल / हायर सैकेण्ड्री स्कूल / सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल / पोलिटेक्निक कॉलेज को सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन अनुमन्यता किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदन के कम में निम्न शर्तों के साथ सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन करने की नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. आवॅटी संस्था जिनके द्वारा इंजीनियरिंग, मेनेजमेन्ट, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स कालेज, डेन्टल कालेज, लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मेडीकल कॉलेज, वोकेशनल कोर्स, नर्सरी स्कूल / प्राइमरी स्कूल / हायर सैकेण्ड्री स्कूल / सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल / पोलिटेक्निक कालेज को चलाये जाने हेतु आवंटन प्राप्त किया गया है, उनको डी.पी. आर. उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन उपरोक्त वर्णित श्रेणी में परस्पर रूप में अनुमन्य होगा। प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आवंटन दरें समान होगीं। इस हेतु मान्यता प्रदान करने वाली संस्था / नियंत्रणकारी संस्था के भूमानक सहित अन्य मानको को पूर्ण करना होगा।
2. उक्त परिवर्तन के आधार पर पृथक से अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रदान नहीं किया जायेगा । परिवर्तित पाठयकम हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. यदि मूल अनुमोदित पूर्व में पाठयक्रम के एफ.ए. आर. से अधिक है तो उस स्थिति में परिवर्तित पाठयक्रम हेतु एफ.ए.आर. बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कय करना होगा।
3. इसी प्रकार यदि AICTE / तकनीकि विश्व विद्यालय / मेडीकल काउन्सिल / फार्मेसी एवं नर्सिंग कोन्सिल यूनिवर्सिटी / यू0जी0सी0 अन्य समान प्रमाणन (Affiliation) संस्था से स्वीकृत पाठयक्रम संचालन की अनुमति पूर्व में आंवटी को दी गयी है तो उसे उपरोक्त वर्णित प्रमाणन Affiliation) संस्थाओं में से किसी भी एक या एक से अधिक प्रमाणन संस्था के पाठयक्रम संचालन करने की अनुमति होगी बशर्ते भूमि का मानक तथा अन्य शर्ते वह पूरी करता हो।
4. उपरोक्त सभी में परियोजना परिवर्तन हेतु प्रचलित भू–दर का 0.5% प्रतिवर्गमीटर प्रोसेसिंग शुल्क के मद में देय होगा जोकि रू0 1,00,000 / – (रू0 एक लाख) से कम नहीं होगा।
5. यदि कोई आवॅटी इस प्रकार के आवॅटन की परियोजना को परिवर्तित करना चाहता है जिसकी किसी भी संस्था से मान्यता की आवश्यकता न हो जैसे ट्रेनिंग सेन्टर / कोचिंग सेन्टर इत्यादि तो इस प्रकार की परियोजना परिवर्तन हेतु रू0 1,00,000 / – (रू0 एक लाख) शुल्क पृथक से देय होगा।
6. इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में हास्टल हेतु परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

7. सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन निर्मित भूखण्डों के अतिरिक्त अनिर्मित भूखण्डों पर भी अनुमन्य होगा।
8. सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन कराये जाने के फलस्वरूप किसी दशा में किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा शेष लीज डीड की शर्तें यथावत् रहेंगी।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114/अनु011 में अनुमोदित प्रस्ताव के कम में जारी किये जा रहे है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

21/6/19

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u> –
1. निजी सचिव को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी./जी. को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. उप महाप्रबन्धक (संस्थागत)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी